न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 125/2021

आरसीएमएस नं. 2021/125

1. सुखजिन्द्रपाल सिंह पुत्र बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 आईडीजी नुकेरा तहसील संगरिया ।

—अपीलांट

बनाम

1. संदीप सिंह पुत्र बूटा सिह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. अमनदीप सिह पुत्र बूटा सिह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. बूटा सिह पुत्र सुच्चा सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
4. परमजीत कौर पुत्री सुच्चा सिह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी संगरिया, दिनांक 18.02.2021

प्रकरण संख्या 154/2021

उपस्थितिः—

श्री इन्द्राज गोदारा, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री वतनदीप सिंह मान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक 29.07.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत एक वाद एवं एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 का पेश किया कि वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त परिवार के सदस्य हैं व आराजी चक 1 आईडीजी के खाता संख्या 45/46 बूटासिह वगैरा के नाम दर्ज होने हम वादीगण का बहिस्सा बराबर का विरास्तन हक हिस्सा बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उक्त आराजी अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठकर आराजी को रहन बैय व अन्य तरीके से हस्तांतरित करने की फिराक में है, जिस कारण प्रतिवादी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वादग्रसत आरजी को रहन बैय व अनय किसी तरीके से हसतान्तरित करने से निषेध रहें। अधीनस्थ न्यायलाय ने दिनांक 17.11.2014 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की एवं दिनांक 18.02.2021 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को अंतिम निस्तारण तक कन्फर्म किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि मुझ अपीलाट के नाम दिनांक 29.08.2015 को जरिये नामान्तरण संख्या 666 वादग्रस्त आराजी में 0.253 है0 का नामान्तरण दर्ज हो चुका था जबकि वादीगण द्वारा जमाबंदी में स्थगन आदेश का नोट 25.06.2015 को दर्ज करवाया था व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा समय पर विधिवत तामील नहीं करवाई गई जिस कारण मुझ अपीलांट व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 को दावा हाजा व स्थगन का ज्ञान नहीं हुआ तथा ज्ञान नहीं होने के कारण मुझ अपीलांट की जरिये बैयनामा खरीदशुदा भूमि पर उक्त स्थगन आदेश प्रभाव नहीं रखता है क्यों कि वादीगण ने जानबूझकर आर्थिक व मानसिक रूप से परेशान करने के लिए स्थगन आदेश लिया है। अपीलाण्ट को स्थगन का ज्ञान हुआ तो बाद में अदालत में उपिस्थत होकर पक्षकार बनने का प्रार्थना–पत्र पेश कर पक्षकार संयोजत हुआ व पत्रावली में काउंटर क्लेम पेश किया जबकि अदालत मातहत ने वादग्रस्त आराजी दौराने दावे का ज्ञान होने पर खरीद मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आररजी जरिये बैयनामा खरीद की है जिसको रेस्पोडेण्टान द्वारा आज तक सिविल न्यायलाय में चुनौती दी हो ऐसा कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

दस्तावेज मातहत अदालत की पत्रावली में पेश नहीं है ना ही जद्दी जायदाद होने का साक्ष्य पत्रावली पर पेश है। वादग्रस्त आराजी में सह खातेदार दर्ज होने से एक सह खतोदार को दूसरे सह खतोदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जा सकता है। ना ही सह खतोदार को उसके हक हिस्सा की कब्जा काश्त की भूमि पर खातेदारी लाभ से वंचित किया जा सकता है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 18.02.2021 को अधिवक्ता द्वारा फौन पर सूचित करने से हुई परन्तु कोरोना के कारण अदालत की कार्यववाही स्थगित होने के कारण निर्णय की नकल प्राप्त नहीं हुई। नकल प्राप्त होते ही अपील पेश कर दी है। इसके लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पेश किया है। देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त परिवार के सदस्य हैं व आराजी चक 1 आईडीजी के खाता संख्या 45/46 बूटासिह वगैरा के नाम दर्ज होने हम वादीगण का बहिस्सा बराबर का विरास्तन हक हिस्सा बनता है। अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि दौराने वाद एवं स्थगन आदेश के बावजूद खरीद की है। अपलाण्ट को स्थगन आदेश की पूर्व से ही जानकारी रही है। अपीलाण्ट ने जानबूझकर रेस्पोडेण्ट का हक मारने के लिए प्रश्नगत भूमि स्थगन आदेश बावजूद खरीदी है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है जो खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र शपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत एक वाद एवं एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 का पेश किया कि वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त परिवार के सदस्य हैं व आराजी चक 1 आईडीजी के खाता संख्या 45/46 बूटासिह वगैरा के नाम दर्ज होने हम वादीगण का बहिस्सा बराबर का विरास्तन हक हिस्सा होना बतते हुए प्रतिवादी के विरूद्ध आरजी को

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रहन बैय व अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित करने से निषेध रहने का अनुतोष मांगा था। अधीनस्थ न्यायलाय ने दिनांक 17.11.2014 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की मगर दिनांक 29.05.2015 को जरिये नामन्तरण संख 666 वादग्रस्त आरजी में से 0.253 है0 का नामान्तरण अपीलण्ट के नाम दर्ज हो गया। जमाबंदी में स्थगन आदेश का नोट दिनांक 25.06.2015 को लगाया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा समय पर स्थगन आदेश की तामील अपीलाट को नहीं करवाई। जिससे आराजी पर स्थगन होने के संबंध में अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था। चूंकि वर्तमान में प्रश्नगत आराजी में अपीलाण्ट का नाम जुड़ चुका है इसलिए अपीलाण्ट एक सह खातेदार हैं एवं एक सहखातेदार को दूसरे सह खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है एवं ना ही उसके हक हिस्सा की कब्जा काश्त की भूमि पर खातेदारी लाभ से वंचित किया जा सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2021 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.7.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/7/22

(करतारसिंह पुनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़